



न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०

रेफरेन्स प्रकरण सं० 54/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सादूलशहर

प्रार्थी

बनाम

1. सुमित्रा देवी पत्नी रामचन्द्र कौम महाजन साकिन श्रीगंगानगर खातेदार के वारिसान
1/1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 9/211 हाउसिंग बोर्ड , हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ।
1/2 महावीर प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 9/211 हाउसिंग बोर्ड , हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

रेफरेन्स भू० राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से

अनुपस्थिति : अप्रार्थीगण अनुपस्थित



आदेश

दिनांक : 09.03.2018

स्टेट की ओर से तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू० राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 6 टी.के.डब्ल्यू की जमाबन्दी कोलोराईजेशन विभाग (सन 1961) के अनुसार खसरा/मुरब्बा नं. 61 में 25 बीघा भूमि गै.मु.जोहड दर्ज है। दिनांक 30.12.1996 इन्तकाल संख्या 150 द्वारा सुमित्रा देवी पत्नी श्री रामचन्द्र कौम महाजन साकिन श्रीगंगानगर खातेदार के नाम चक चक 6 टी.के.डब्ल्यू मुरब्बा नम्बर 19, किला नम्बर 1,10,11,16, 20 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि माननीय उच्च न्यायालय की सीविल रिट नम्बर 3664/88 द्वारा सोहन लाल आदि बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 16.03.1990 एवं विशेष अपील नम्बर 117/90 सरकार बनाम सोहन लाल आदि निर्णय दिनांक 16.03.1993 एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.05.1986 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 629/32 दिनांक 01.05.1995 की पालना में दर्ज हुई। उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि थी और नियमन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि को अप्रार्थी के पक्ष में नियमन यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और नियमन खारिज किये जाने योग्य है। अतः नियमन भूमि का नियमन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज किया जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील उनके भाई की पत्नी पर होने के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं।

राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रेफरेन्स में वर्णित भूमि

आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी०बी० सिविल रिट याचिका सं० 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस०बी०सिविल रिट याचिका सं० 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा भी जोहड़ पायतन की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 6 टी.के.डब्ल्यू की जमाबन्दी कोलोराईजेशन विभाग (सन 1961) के अनुसार खसरा/मुरब्बा नं. 61 में 25 बीघा भूमि गै.मु.जोहड़ दर्ज है।



पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी कोलोराईजेशन विभाग (सन 1961) के अनुसार खसरा/मुरब्बा नं. 61 में 25 बीघा भूमि गै.मु.जोहड़ दर्ज है। है। दिनांक 30.12.1996 इन्तकाल संख्या 150 द्वारा सुमित्रा देवी पत्नी श्री रामचन्द्र कौम महाजन साकिन श्रीगंगानगर खातेदार के नाम चक चक 6 टी.के.डब्ल्यू मुरब्बा नम्बर 19, किला नम्बर 1,10,11,16, 20 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि माननीय उच्च न्यायालय की सिविल रिट नम्बर 3664/88 द्वारा सोहन लाल आदि बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 16.03.1990 एवं विशेष अपील नम्बर 117/90 सरकार बनाम सोहन लाल आदि निर्णय दिनांक 16.03.1993 एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.05.1986 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 629/32 दिनांक 01.05.1995 की पालना में दर्ज हुई। उक्त भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और नियमन खारिज किये जाने योग्य है। अतः नियमन भूमि का नियमन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में गै.मु.जोहड़ दर्ज किया जावे।

अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि की किस्म गैरमुसकिन जोहड़ होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(146)राज-7/2011 जयपुर, दिनांक 26-06-12 में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं० 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी०बी० सिविल रिट याचिका सं० 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार

में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 किया है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके Water Flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31-10-1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बौध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं, के आलोक में आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार सादूलशहर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलकत्ता
श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर